**भारत सरकार**
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2049**
**11 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**महाराष्ट्र में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवासों का निर्माण**

**2049. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के भिवंडी-निजामपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत किए गए, निर्मित किए गए और आवंटित किए गए आवासों की संख्या कितनी है;
(ख) भिवंडी में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवासों के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं और निर्माण पूरा होने की नई समय-सीमा क्या है; और
(ग) क्या सरकार द्वारा भिवंडी के स्लम क्षेत्रों में किसी भी मलिन बस्ती स्वस्थाने पुनर्विकास परियोजना को स्वीकृति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है**?**

**उत्तर**
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**
**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि को दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता है। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखे जा सकते हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू **2.0** मांग आधारित योजनाएँ हैं। लाभार्थियों द्वारा वांछित विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और पात्र लाभार्थियों को पूर्ण किए गए आवासों के आबंटन सहित कार्यान्वयन का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत से अब तक पीएमएवाई-यू **2.0** के अंतर्गत **10.43** लाख आवासों सहित कुल **122.06** लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से **113.85** लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और **24.11.2025** तक देश भर में **96.02** लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू **2.0** के अंतर्गत महाराष्ट्र के भिवंडी निजामपुर शहर में कुल **11,670** आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से **11,351** आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, **9,249** आवास पूरे किए जा चुके हैं और अब तक **8,861** आवास लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

भिवंडी शहर में पीएमएवाई(यू) योजना के तहत स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

****